रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार जून 22, 1978/अषाढ़ 1, 1900

No 124] NEW DELHI, THURSDAY JUNE 22, 1978/ASADHA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिकारिता आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 40 आई टी सी (पीएन)/78

नई दिल्ली, 22 जून, 1978

विषय —संयंत्र और उपस्कर के आयात के लिए सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने के लिए भारत के औद्योगिक विकास बैंक को 2 करोड़ 50 लाख अमरीकन डालर के विश्व बैंक ऋण 1511 आई एन के मुद्दे पूंजीगत माल के आयात के लिए क्रियाविधि।

विश्व बैंक ने अमरीका डालर 2 करोड़ 50 लाख के बराबर भारत सरकार को विभिन्न मुद्राओं में ऋण उपलब्ध कराया है जिसका रुपये तुल्यांक में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित माल एवं सेवाओं की विदेशी मुद्रा में लागत को प्रयुक्त किए जाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

2 ऋण की वचनबद्धता के लिए अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 1980 है और ऋण का उपयोग करने के लिए अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1983 है

3 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र के विशिष्ट विनिर्माणक कृषि-औद्योगिक या खनन विकास परियोजनाओं को ऋण प्रदान किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना से आशय ऐसे उद्यम से है जिसके 51% या अधिक इक्विटी शेयर राज्य सरकार या इसके प्राधिकृत अभिकर्ताओं या दोनों के पास हों जब कि संयुक्त क्षेत्र परियोजना से आशय ऐसे उद्यम से है जिसके (1) 25% से अधिक किन्तु 50% से कम इक्विटी शेयर राज्य सरकार या इसके प्राधिकृत अभिकर्ताओं या दोनों के पास हों और (2) लगभग 25% या ऐसा ही कोई अन्य प्रतिशत जो राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच आपस में तय किया जाए, इक्विटी शेयर निजी पार्टी के पास हो। सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र की नई परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए और वर्तमान उद्यमों के विस्तार, नाना विधि बनाने, आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए ऋण प्रदान किया जा सकता है।

4 वे परियोजनाएं सहायता की पात्र हैं जिनकी स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य (भूमि की लागत को शामिल करके) 1 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए के बीच है।

5 पात्र परियोजनाओं को आयातित पूंजीगत माल और सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला ऋण 40 लाख अमरीकी डालर की समतुल्य धनराशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

6 आयात लाइसेंस प्राप्त करने की क्रियाविधि नीचे दिए गए अनुसार होगी —

(क) पूंजीगत माल के आयात के लिए निकासी एवं अन्य निकासी जैसे कि आशय पत्र, औद्योगिक लाइसेंसों इत्यादि का निर्गमन करने के लिए समन्वय प्राधिकारी परियोजना अनुमोदन बोर्ड (प०अ०बो०), उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार होगी। संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं के प्रवर्धक या सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र की परियोजना को प्रोसेस करने का इरादा रखने वाले राज्य औद्योगिक विकास निगम को निर्धारित प्रपत्र में परियोजना अनुमोदन बोर्ड को आवेदन करना होगा और इसके साथ ही इसकी एक प्रति निम्नलिखित पते पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होगी —

उप महा प्रबंधक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, रेड क्रास सोसायटी बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय आयात लाइसेंस/औद्योगिक लाइसेंस के आधार पर इसका सारांश तैयार करेगा जिस पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा ।

(ख) उन मामलों में जहां संयंत्र और मशीनरी अथवा आयात किए जाने वाले मशीन के औजारों का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक हो तो आवेदक को आयात लाइसेंस इत्यादि के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड को आवेदन करने से पूर्व आयात-निर्यात, हैण्ड बुक की क्रियाविधि 1978-79 की कंडिकाओं 152-154 में दर्शाई गई विज्ञापन क्रियाविधि का पालन करना चाहिए ।

(ग) उन मामलों में जहां संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से आशय पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं, आयात लाइसेंस के आवेदन पत्रों पर विचार पूंजीगत माल समिति में किया जाएगा ।

7. इस विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों को जारी करने में लागू होने वाली शर्तें नीचे दी जाती हैं:—

(1) ये शर्तें सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के पात्र औद्योगिक एककों द्वारा भारत सरकार की पूंजीगत माल समिति को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों के संबंध में उनके द्वारा अनुमोदित माल के आयात और सेवाओं के लिए लागू होंगी ।

(2) आयात लाइसेंस आवेदक एकक को तभी जारी किया जा सकेगा जब कि भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा क्रेडिट के अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति दे दी गई है । आवेदक एकक द्वारा आवेदन-पत्र की एक प्रति भारत के औद्योगिक विकास बैंक के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, रेड क्रास बिल्डिंग, रेड क्रास रोड, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

(3) प्रत्येक आयात लाइसेंस पर पहचान चिन्ह "आईबीआरडी/आईडी डीआई ऋणम सं, 1511- आईएन" दिया जाएगा और इसके साथ उस वर्ष का संकेत किया जाएगा जिसमें लाइसेंस जारी किया जाता है और फिर उसके बाद दी जाने वाली अनुवर्ती क्रम सं० को दर्शाया जाएगा।

(4) आयात लाइसेंस के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए जाने वाले माल तथा सेवाएं विश्व बैंक के सदस्य देशों या स्विटजरलैण्ड से अवश्य ही प्राप्त कर ली जानी चाहिए । ऐसे देशों की एक सूची अनुबंध 1 में दी गई है ।

(5) आयात लाइसेंस के मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मुद्रा-दर के संदर्भ में किया जाना चाहिए ।

(6) आदेश लागत-बीमा-भाड़ा अथवा लागत तथा भाड़ा के आधार पर ही दिए जाने चाहिएं । यदि आयात लाइसेंस के अन्तर्गत एक से अधिक क्रय आदेश/संविदा की जाती है तो प्रत्येक ऐसे क्रय आदेश/संविदा पर एक पहचान चिन्ह होना चाहिए, जैसे "आईबीआरडी/आईडीबीआई सं० 1511–आईएन/78/1(1), आईबीआरडी/आईडीबीआई सं० 1511–आईएन/78/1(2) और इसी प्रकार ।

(7) आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा जिसके अन्दर ही सदान पूर्ण कर दिए जाने चाहिएं । लाइसेंसधारी को विदेशी संभरक पर इस बात की आवश्यकता पर दबाव डालना चाहिए कि उसे आदेश के अनुसार की गई संभरण की तिथि का कठोरता से पालन करना चाहिए ।

(8) (क) पक्के आदेश, (संभरकों के दृष्टीकरण आदेश द्वारा समर्थित क्रय आदेश अथवा दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित क्रय संविदा) आयात लाइसेंस के के जारी होने की तिथि से 4 महीने के भीतर अवश्य ही दे दिए जने चाहिए ।

(ख) यदि आदेश 4 महीनों के भीतर नहीं दिए जाते हैं तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह तत्पश्चात् (अर्थात् पांचवें मास के प्रथम सप्ताह में) लाइसेंस प्राधिकारी को आदेश देने के लिए उपर्युक्त अवधि वृद्धि के लिए पर्याप्त औचित्य के साथ आवेदन करें । लाइसेंस प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो वित्तीय कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (एफबी-I शाखा) के साथ परामर्श करने पर पात्रता के आधार पर आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद आदेश देने के लिए वैधता वृद्धि की स्वीकृति देगा ।

(ग) ऐसे मामलों में जहां 4 मास के भीतर लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं तो आदेश देने के लिए अवधि वृद्धि उस शेष मूल्य के लिए लेनी पड़ेगी जो कि निर्धारित 4 मास के भीतर दिए गए आदेशों के अन्तर्गत नहीं आता है ।

(घ) यह सुनिश्चय करना लाइसेंसधारी के अपने हित के लिए होगा कि निर्धारित 4 मास की अवधि के भीदर आदेश दे दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां यह वैध कारणों से संभव नहीं होता है तो उसे स्वयं चाहिए कि वह उपर्युक्त कंडिका (ख) तथा (ग) में संकेतित क्रिया विधि के अनुसार आदेश देने के लिए उचित अवधि वृद्धि के लिए लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें ।

(ङ) विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच पड़ताल करेगा कि लाइसेंसधारी चार मास के भीतर आदेश देने की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है (अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी प्रकार की बढ़ाई गई अवधि) इसमें उनके द्वारा किसी प्रकार का साख-पत्र खोल दिया जाता है उसके पूर्व ही जांच करेंगे ।

लाइसेंस के अन्तर्गत भुगतान :

(9) (क) माल तथा सेवाओं के लिए भुगतान नीचे की कंडिका 8 में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार किए जाने चाहिए । विदेशी संभरकों के साथ की गई संविदाओं में भुगतान-पद्धति का और नीचे की कंडिका 8 में बताई गई क्रियाविधि सू अनुसार संभरकों द्वारा लाइसेंसधारी को भेजे जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(ख) प्राप्त किए गए माल तथा सेवाओं की कीमत के लिए भुगतान उस देश की मुद्रा में किए जाएंगे जहां से ऐसे माल तथा सेवाएं प्राप्त की जाती हैं अर्थात् माल के उद्गम देश की मुद्रा में किए जाएंगे और न कि सदान के देश अथवा वह देश जिस में संभरक स्थित है उसके संदर्भ में । इसलिए, लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह उस देश/देशों का साफ-साफ उल्लेख करे जहां से माल प्राप्त

किए जाने हैं (अर्थात् माल के उद्गम देश का नाम) और उसे स्पष्ट रूप से मुद्रा क्षेत्र का संकेत नहीं करना चाहिए।

(ग) भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के संबंध में भुगतान और भारतीय ध्वजपोतों द्वारा ले जाए गए सामान के संबंध भाड़ा प्रभार भारतीय रुपए में ही किए जाने हैं। लेकिन, ऐसे प्रभार आयात लाइसेंस के मूल्य के एक भाग होंगे और इसलिए आयात लाइसेंस से लिए जाएंगे।

(घ) विश्व बैंक के गैर-सदस्य देशों के पोतों में लदान के लिए समुद्र भाड़ा प्रभार विश्व बैंक के ऋण के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पात्र नहीं होता है। अतः लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संभरक द्वारा लदान की व्यवस्था केवल विश्व बैंक के सदस्य देशों के पोतों में ही की जाती है। लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे संभरकों के साथ अपनी संविदा में इसे विशेष रूप से उल्लेख करें।

विस्तृत भुगतान क्रिया-विधि

9. (क) लाइसेंस के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में भुगतान, सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से अर्थात् भारत में विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से किए जाएंगे।

(ख) निर्धारित दस्तावेजों का विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है और उन्हें साख-पत्र खोलने वाले लाइसेंसधारी के बैंक द्वारा अनुबन्ध-3 में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।

(ग) इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए कि अनुबन्ध-2 में विशिष्टिकृत दस्तावेज लाइसेंसधारी की संभरक के साथ की गई अपनी संविदा में लाइसेंसधारी के बैंक को भेजने आवश्यक है।

(घ) भारत स्थित बैंक को लाइसेंसधारी की ओर से साखपत्र खोलते समय साख-पत्र में यह भी निर्धारित करना चाहिए कि उक्त दस्तावेज बैंक को, साख-पत्र के अन्तर्गत बिल लेते समय प्रस्तुत करने हैं।

(ङ) पावती के बाद ये दस्तावेज अलग-अलग करके एक साथ नत्थी कर दिए जाएंगे और लाइसेंसधारी के बैंक द्वारा अनुबन्ध-3 में यथा संकेतित इन दस्तावेजों के प्रत्येक दस्तावेजों पर सम्बद्ध आयात लाइसेंस के ब्यौरों को विधिवत् नोट कर लेने के बाद में भारत के औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई को प्रेषित किया जाएगा। आई० डी० बी० आई० इन दस्तावेजों को कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए अपने पास रखेगी।

(च) लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यद्यपि, साख-पत्र खोलने वाले बैंक के लिए आई० डी० बी० आई० को निर्धारित दस्तावेज भेजने आवश्यक हैं लेकिन लाइसेंसधारी को भारत के औद्योगिक विकास बैंक को इन दस्तावेजों के निश्चित प्रस्तुतीकरण के लिए बैंक के बराबर जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसलिए, लाइसेंसधारी को यह परामर्श दिया जाता है कि वह बैंक से शीघ्रातिशीघ्र इस बात की जाँच-पड़ताल करें कि भारत के औद्योगिक विकास बैंक को दस्तावेज ठीक समय के भीतर भेज दिए गए हैं। भारत के औद्योगिक विकास बैंक अगर और जब कभी आवश्यक समझे सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए लाइसेंसधारी से संपर्क स्थापित कर सकती है। यह भली-भांति जान लेना चाहिए कि भारत के औद्योगिक विकास बैंक हमेशा भुगतानों के प्रेषण के बाद दस्तावेज प्राप्त करती है।

10. लाइसेंस के अन्तर्गत सभी प्रकार के भुगतान, आयात लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर जिस में लाइसेंस के अन्तर्गत सामान्य रूप से अनुमेय 60 दिनों की रियायती अवधि भी शामिल है, के भीतर कर दिए जाने चाहिए।

11. (क) आदेशों का एक विवरण संलग्न प्रपत्र (अनुबन्ध-4) के रूप में जिस में दिए गए आदेशों/खोले गए साख पत्र द्वारा लाइसेंस के उपयोगीकरण की प्रगति वास्तविक आयातों और किए गए प्रेषणों और आगामी लदानों की अनुमानित तिथि का भी संकेत किया जाए, भारत के औद्योगिक विकास बैंक को भेजा जाना चाहिए। प्रथम रिपोर्ट लाइसेंस के जारी होने की तारीख के 4 मास के बाद या इससे पूर्व यदि आदेश देने का कार्य पूर्ण हो जाता है, भेजी जानी चाहिए और इस के बाद प्रत्येक मास की पहली तारीख को।

(ख) लाइसेंसधारी प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी और 31 अगस्त को एक छः माही विवरण जिस में दिए गए आदेशों/खोले गए साख-पत्र द्वारा लाइसेंस के उपयोगीकरण की प्रगति, वास्तविक आयातों और किए गए प्रेषणों और आगामी लदानों की अनुमानित तिथि का भी संकेत रहेगा, को भी (औद्योगिक विकास मंत्रालय की विदेशी मुद्रा विनिमय शाखा को एक प्रति प्रेषित करते हुए) सांख्यिकी निदेशक को भेजेगा।

12. बही-खाता और रिकार्ड रखना

आयातक क्रेडिट की बिक्री में से प्राप्त किए गए माल से सम्बन्धित बही-खाता तथा रिकार्ड की परियोजना में उस के उपयोग और परियोजना की प्रगति के रिकार्ड के बारे में उपयुक्त ज्ञान के लिए रखेंगे। इस प्रकार के बही खाते रिकार्ड माल की प्राप्ति की तिथि के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे। आयातक परियोजना से सम्बन्धित दस्तावेजों को सम्बद्ध रिकार्ड, क्रेडिट की क्रय बिक्री में से प्राप्त किए गए माल के निरीक्षण के लिए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)/आई० डी० बी० आई०/विश्व बैंक के प्रतिनिधियों को समर्थ बनाएगा और जब कभी अवसर आता है ऐसे निरीक्षण के लिए उन्हें हर प्रकार के उचित अवसर और सहायता प्रदान करेगा।

13. माल का अन्तिम उपयोग

क्रेडिट के अन्तर्गत लाइसेंस के मद्दे प्राप्त किए गए ऐसे माल तथा सेवाओं का उपयोग केवल पूंजी निवेश परियोजना को चलाने में ही किया जाएगा।

14. संभरक के लिए अधिसूचना

आयातक को चाहिए कि वह संभरक को आयात लाइसेंस में किसी भी ऐसी विशेष व्यवस्था के बारे में अवगत कराए जो व्यापार को चलाने में संभरक पर प्रभाव डालती है।

15. झगड़े

यह भली-भांति जान लेना चाहिए कि अगर कभी भी आयातकों और संभरकों के बीच किसी किस्म का झगड़ा खड़ा हो जाए तो भारत सरकार/आई० डी० बी० आई० इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

16. भविष्य के लिए अनुदेश

आयातक आयात लाइसेंसों को सम्बन्धित या उस से उत्पन्न होने वाले किसी या सभी मामलों के बारे में और आई० डी० बी० आई० विश्व बैंक के लिए समझौते के अन्तर्गत सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों अथवा आदेशों का शीघ्रता के साथ अनुपालन करेंगे।

17. उल्लंघन या अतिक्रमण :

उपर्युक्त निर्धारित शर्तों में से किसी का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी।

[संख्या-आई० पी० सी०/39/11/76 से जारी]

हस्ताक्षरित

का० बे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 40-ITC(PN)/78

New Delhi, the 22nd June, 1978

Subject :—Procedure for import of capital goods against World Bank Loan 1511-IN of US $ 25 million to the Industrial Development Bank of India (IDBI) for lending to Public and Joint Sector projects for the import of plant and equipment.

The World Bank has made available to the Government of India, credit in various currencies, equivalent to US $ 25 million the rupee equivalent of which will be utilised by the IDBI for financing the foreign currency cost of goods and services required by the projects in the public and joint sectors.

2. The last date for the commitment of the loan is 30th September 1980 and the last date for utilising the loan is 31st March 1983.

3. Loans may be granted by the IDBI to the specific manufacturing agro-industrial or mining development projects in the public and joint sectors. A public sector project has been defined as an enterprise of which 51 per cent equity share or more is held by a State Government or its authorised agents or both while a joint sector project has been defined as an enterprise of which (i) more than 25 per cent but less than 50 per cent of equity share is held by the State Government or its authorised agents or both and (ii) about 25 per cent equity share, or such other percentage as the Government of India and the World Bank may mutually agree, is held by a private party. The loans may be granted for setting up new projects as well as for expansion, diversification, modernisation, etc. of the existing enterprises in the public/joint sector.

4. The projects with fixed assets (excluding land cost) of a value between Rs. 1 crore and Rs. 20 crores are eligible for assistance.

5. The maximum loan to an eligible project for meeting the cost of the imported capital goods and services should not exceed the rupee equivalent of US $ 40 lakhs.

6. The procedure for obtaining the import licences will be as under :—

(a) The Project Approval Board (PAB) in the Ministry of Industry of Government of India will be the coordinating authority for giving clearance for import of capital goods as also other clearances like issue of letters of intent, industrial licences, etc. The promoters of joint sector projects or the State Industrial Development Corporation intending to promote the project in the public/joint sector will have to make an application in the prescribed form to the Project Approval Board a copy of which shall be simultaneously forwarded to the New Delhi Regional Office of the IDBI at its address given below :—

The Dupty General Manager, Industrial Development Bank of India, New Delhi Regional Office, Red Cross Society Building, New Delhi-110001.

The New Delhi Regional Office of IDBI will prepare a summary of the case on the basis of the application for import licence/industrial licence which will be considered at the meeting of the PAB.

(b) in cases where the value of plant and machinery or machine tools required to be imported exceeds Rs. 10 lakhs, the applicant should follow the advertisement procedure as laid down in paragraphs 152—154 of the Hand Book of Import-Export Procedures 1978-79 before applying to the PAB for import licence, etc.

(c) In cases where letter of intent have already been issued for the purpose of setting up joint sector projects, the import licence applications would be discussed at the CG Committee.

7. The terms and conditions governing the issue of import licences to be financed under the World Bank Loan are set out below :—

(i) These conditions will be applicable to import of goods and services which have been approved by the Capital Goods Committee of the Government of India in respect of applications made to it by the eligible industrial units in the public and joint sectors.

(ii) The import licences will be issued only after the loan under the Credit has been sanctioned by the IDBI to applicant unit. A copy of the application to PAB should be forwarded by applicant unit to the New Delhi Regional office of IDBI at Red Cross Building, Red Cross Road, New Delhi.

(iii) Each import licence will bear the identification mark "IBRD/IDBI Loan No. 1511-IN" followed by the year in which the licence is issued and then followed by a serial number which is to be given consecutively.

(iv) The goods and services to be financed under the import licence must be acquired from the member countries of the World Bank or Switzerland. A list of such countries is given in Annexure I.

(v) The value of the import licence should be determined with reference to the rate of exchange notified by the Government of India.

(vi) Orders must be placed on C.I.F. or C. & F. basis. If more than one purchase order/contract is placed under the import licence, each such purchase order/contract should contain an identification mark for example "IBRD/IDBI no. 1511-IN/78/I(i), IBRD/IDBI No. 1511-IN/78/I(ii) and so on".

(vii) The import licence will be issued initially for a validity period of 12 months within which shipment should be completed. The licensee must impress on the foreign suppliers the need to adhere strictly to the promised delivery date.

(viii) (a) Firm orders (purchase order supported by suppliers' order confirmation or purchase contract signed by both parties) must be placed within four months from the date of issue of the import licence.

(b) If orders are not placed within four months, the licensee should apply to licensing authorities immediately thereafter (i.e. in first week of fifth month) adequate justification for suitable extension in the period of ordering. The licensing authorities will extend the validity period for ordering up to a suitable date after considering the application on merits, in consultation with the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (FB-I Section), if necessary.

(c) In case where orders have not been placed for the full value of the licence within 4 months, extension in the period of ordering will have to be obtained for the balance value which is not covered by orders placed within the prescribed period of four months.

(d) It will be in the interest of the lincesee himself to ensure that ordering is completed within the prescribed period of 4 months. In cases where this does not become possible, for valid reasons, he should, of his own, approach the licensing authorities for suitable extension in the period of ordering as per procedures indicated in (b) and (c) above.

(e) The authorised dealers in foreign exchange will exercise necessary checks to ensure that the licensee complies with the requirements of placing orders within four months (or any extended period allowed by the licensing authorities) before any letter of credit is opened by them in this behalf.

8. Payments under the Licence

(a) Payments for goods and services should be made in accordance with the procedure explained in para 8 below. Contracts concluded with foreign suppliers must specify the mode of payment and also the documentation required to be furnished by the suppliers to the licensee as per procedure described in para 9 below.

(b) Payments for the cost of goods and services acquired shall be made in the currency of the country from which such goods and services are acquired, i.e. in the currency of the country of origin of goods, and not with reference to the country of shipment or the country in which the supplier is located. The licensee should, therefore, clearly specify the country/countries from which goods are to be acquird (i.e. the country of the origin of the goods) and should not indicate the currency area in vague terms.

(c) Payments on account of Indian Agent's Commission and freight charges in respect of goods carried by Indian flag vessels are to be made in Indian rupees Such charges will, however, form part of the value of import licence and will, therefore, be charged to the import licence.

(d) The ocean freight charges for shipment in vessels belonging to non-member countries of the World Bank are ineligible for financing under World Bank Loan. Hence the licensee should ensure that shipment is arranged by the supplier only in vessels belonging to member-countries of the World Bank. The licensees should specify this in their contract with the suppliers.

9. Detailed payment procedure.

(a) Payments in foreign currency under the licence will be made through normal banking channel i.e. through Authorised Dealers in foreign exchange in India.

(b) The prescribed documents are detailed in Annexure II and should be sent along with a proforma as in Annexure III by the licensee's bank opening the letter of Credit.

(c) The licensee should specify in his contract with suppliers that the documents specified in Annexure II are required to be furnished to the licensee's bank.

(d) The bank in India while opening the letter of credit on behalf of the licensee should also stipulate in the letter of credit that the said documents are required to be furnished to the bank at the time the bills are drawn under the letter of credit.

(e) These documents, after receipt, will be separated and behalf of the licensee should also stipulate in bank to the IDBI at Bombay with particulars of the relative import licence duly noted in each of these documents as indicated in Annexure III. IDBI will retain these documents for a minimum period of three years in its custody.

(f) The licensee should note that though the bank opening the letter of credit is required to furnish the prescribed documnets to the IDBI, the licensee is to be treated as equally responsible for ensuring submission of these documents to the IDBI. The licensee is, therefore, advised to check promptly with the bank that the documents have been furnished in time to the IDBI. The IDBI may approach the licensee for relevant documents if and when necessary. It should be clearly understood that the IDBI invariably receives the documents after the payments have been remitted.

10. All payments under the licence must be completed within the validity period of the import licence including 60 days grace period normally permitted under the licence.

11. (a) A statement of orders in the form attached (Annexure IV) should be sent to the IDBI indicating the progress of utilisation of licence by way of orders placed/letter of credit opened, actual imports and remittances made and also expected dates of future shipment. The first report should be sent after 4 months from the date of issue of licence or earlier if the ordering is completed and thereafter on the 1st of every month.

(b) As on the 28th February and 31st August each year, licensee shall also furnish to the Director of Statistics, Office of CCI&E, Udyog Bhavan, New Delhi a half-yearly return (with a copy to the Foreign Exchange Section of the Ministry of Industrial Development) indicating the progress in utilisation of license by way of orders placed/letters of credit opened, actual imports and remittances made and also expected dates of future shipment.

12. Maintenance of Book and Records

The importers' shall maintain books and records adequate to identify the goods acquired out of the proceeds of the credit, to disclose the use thereof in the project. Such records and books shall be maintained for a period of five years after the date of acquisition of the goods. Imports shall enable the authorised representatives of Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs)/IDBI/World Bank to inspect the relevant records and documents relating to the project, the goods acquired out of the proceeds of the Credit and shall afford all reasonable opportunity and assistance to them for such examination whenever such an occasion arises.

13. End-use of goods

Such goods and services acquired against the licence granted under this Credit shall be used exclusively in the carrying out of the Investment Project.

14. Notifying Supplier

The importer should apprise the supplier of any special provision in the import licences which affect the suppliers in carrying out the transaction.

15. Disputes

It should be understood that Government of India/IDBI will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the importers and suppliers.

16. Future instructions

The importers shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government regarding any/all matters arising from or pertaining to the import licences and for meeting all obligations under the Agreement between the IDBI and the World Bank.

17. Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth above will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

Sd/-

[File No. IPC/39/11/76]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.

अनुबन्ध–1

विश्व बैंक के सदस्य देशों की सूची

अफगानिस्तान	इक्वाडोर
अल्जीरिया	अरब गणराज्य का मि
अर्जेन्टीना	एल साल्वाडोर
आस्ट्रेलिया	विषुवतीय गिनी
आस्ट्रिया	इथोपिया
बंगलादेश	फिजी
बेल्जियम	फिनलैण्ड
बोलिविया	फ्रांस

बोतस्वाना
ब्राजील
बर्मा
बरुंडी
केमरुन
कनाडा
मध्य अफ्रीका गणराज्य
श्री लंका
चाद
चिली
चीन गणराज्य
कोलम्बिया
कांगों जनवादी गणतन्त्र
कोस्टा-रिका
साइप्रस
दहोमी
डेनमार्क
डोमिनिकन गणराज्य
आइवरी कोस्ट
जमैका
जापान
जोर्डन
कोनिया
खामेर गणतन्त्र
कोरिया
कुवैत
लाओस
लेब्बनान
लियोसोथी
लाइबीरिया
लिबयाना अरब गणतन्त्र
लक्समबर्ग
मालागासी गणतन्त्र
मालावी
मासी
मोरिटेनिया
मारिशस
मैक्सिको
मोरोक्को
नेपाल
नीदरलैण्ड
न्यूजीलैण्ड
निकारागुआ
नाइजर
नाइजेरिया
नार्वे
ओमन
पाकिस्तान
पनामा
गेबोन
गेम्बिया
जर्मनी गणतन्त्र संघ
घाना
यूनान
गोटेमाला
गिनी
गुआना
हेती
होन्डूरस
आइसलैण्ड
भारत
इन्डोनेशिया
ईरान
ईराक
आयरलैण्ड
इसराइल
इटली
आगंबे
पेरु
फिलीपीन
पुर्तगाल
रुमानिया
रुवान्दा
सऊदी अरब
सेनेगल
सिएरा लेओन
सिंगापुर
सोमालिया
दक्षिणी अफ्रीका
स्पेन
सूडान
सीरिया अरब गणतन्त्र
तंजानिया
थाइलैण्ड
टोगो
त्रिनिदाद और तोबेगो
ट्यूनीशिया
टर्की
युगाण्डा
यू० के०
संयुक्त राज्य
अपरवोल्टा
युरुग्वे
वेनेजुएला
वियतनाम
यमन अरब गणराज्य
यमन जनवादी लोकतन्त्रीय गणतन्त्र
यूगोस्लविया
जाइरी
जाम्बिया

ANNEXURE-I

List of member countries of the World Bank

Afghanistan
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belgium
Bolivia
Botsawna
Brazil
Burma
Burinsi
Cameroon
Canada
Central African Republic
Ceylon
Chad Chile
China, Republic of
Colombia
Congo, People's Republic of
Costa Rica
Cyprus
Dehomey
Denmark
Dominican Republic
Ecuader
Egypt, Arab Republic of
El Savador
Equatorial Guinea
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia, the
German, Federal Republic of
Ghana
Greece
Gaiutemala
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Khumer Republic
Korea
Kuwait
Lebanon
Leosotho
Liberia
Libyana Arab Republic
Luxembourg
Malagasy Republic
Malawi
Malaysia
Mali
Mauritania
Mauritius
Mexico
Morocco
Nepal
Netherlands
Newzelands
Nicaragua
Niger
Nigerial
Norway
Oman, Pa
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Portugal
Romania
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Swaziland
Sweden
Syrian Arab Republic
Tanzania
Thailand
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
United Kingdom
United States
Upper Volta
Uruguay
Venejuela
Vietnam
Yemen Arab Republic of
Yemen Peoples Democratic, Republic of
Yegoslavia
Zaire
Zambia.

अनुबन्ध 2

भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर किए गए प्रत्येक ऋण के अन्तर्गत उद्यम कर्ता द्वारा माल के आयात के सम्बन्ध में भारत स्थित प्राधिकृत बैंक द्वारा भारत के औद्योगिक विकास बैंक को भेजे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज।

(क) संभरक का बीजक, माल या सेवाओं का विवरण दर्शाते हुए (मूल या स्पष्ट प्रति)।

(ख) भुगतान का साक्ष्य :

1. वसूली बीजक या विदेशी संभरक की औपचारिक रसीद, अथवा

2. बैंक का रद्द किया हुआ चैक या ड्राफ्ट या उसकी फोटो कापी, अथवा

3 अन्य संतुष्टिप्रद साक्ष्य।

(ग) पोतलदान का साक्ष्य, निम्नलिखित रूप में :

1. महासागर परिवहन या वायुमार्ग लदान बिल की एक प्रति (यह प्रति हस्ताक्षरित प्रति होने की आवश्यकता नही) अथवा
2. संभरक या भेजने वाले का एक प्रमाण-पत्र कि माल पोतवाहित कर दिया गया है। इस प्रमाण-पत्र में पोतलदान की अनुमानित तिथि शामिल होनी चाहिए, परिवहन का साधन (अर्थात् वायु, रेल या सागर) और पोत/वायुयान का गन्तव्यस्थान पोत या वायुयान का नाम और ध्वज (यदि ज्ञात हों) और महासागर/वायुमार्ग भाड़े की धनराशि दी जानी चाहिए।

टिप्पणी :—यदि आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के समय पोतलदान नहीं किया गया है अथवा यदि आवेदनपत्र किसी संविदा पर तत्क्षण भुगतान/या अगमन भुगतान से सम्बन्धित है तो पोतलदान का साक्ष्य पोतलदान होने के बाद यथा सम्भव शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए। जिन मामलों में आवेदनपत्र तत्क्षण भुगतान या अगमन भुगतान से सम्बन्धित हो उनमें पोतलदान का यह साक्ष्य संभरक के अन्तिम बीजक की एक प्रति के साथ होना चाहिए।

ANNEXURE II

Documents required to be sent by the authorised Bank in India to the IDBI in respect of importation of goods by the entrepreneur under each loan sanctioned by the IDBI

(a) Supplier's invoice describing the goods or services (original or legible copy).

(b) Evidence of payment :

(1) Receipted invoice or formal receipt of the forei gn supplier, or

(2) Cancelled bank cheque or draft or photostat copy thereof; or

(3) Other satisfactory evidence

(c) Evidence of shipment, in the form of:

(1) A copy of ocean or airway bill of lading (this need not be a signed copy) or

(2) A certificate of the supplier or forwarder that the goods have been shipped. This certificate should include the approximate date of shipment, the method of transportation (i.e., air, rail or sea) and th destination of the ship/aircraft, the name and flag of the vessel or aircraft (if known) and amount of ocean/air freight should be given.

NOTE :

If shipment has not been made at the time of the application is submitted or if the application relates to down or progress payment on a contract, evidence of shipment should be furnished as soon as possible after shipment. This evidence of shipment should be accompanied by a copy of the supplier's final invoice in case where the application relates to a down or progress payment.

अनुबन्ध-3

बैंक की भुगतान की रिपोर्ट क्रम संख्या ....

....

(वाणिज्यिक बैंक का नाम)

भुगतान की तिथि ....

लाइसेंस संख्या ....

सेवा में,

....

(कर्जदार या कर्जदार के प्रतिनिधि का नाम)

....

.... (पता) ....

हम लाइसेंस संख्या .... के अन्तर्गत .... द्वारा निश्चित
(क्रेता का नाम और पता)

की गई धनराशि .... को ....
(संभरक का नाम)

.... को चुकाने की सूचना देते हैं। हमारे भुगतान कमीशन की कुल धनराशि .... आती है।

भुगतान उपर्युक्त लाइसेंस में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति के आधार पर/और उसकी शर्तों के अनुसार ....
(मात्रा आदि सहित पण्य माल का सामान्य विवरण)

....

पोत रसीद .... या रेलवे रसीद ....

के अनुसार .... से ....
(पोत लदान का स्थान) (गन्तव्य स्थान)

तक या .... पर गोदाम या वर्णित माल के उत्पादन का साक्ष्य देते हुए प्रभावी किया गया था।

सम्बन्धित दस्तावेज भारत के औद्योगिक विकास बैंक को भेज दिए गए हैं।

....

(संभरण के बीजक की प्रति संलग्न है)

आपका

ANNEXURE III

Bank's Report of payment Serial No.....

(Name of Commercial Bank)

Date of payment.....

Licence No.....

To

.....

(Name of Borrower or Borrower's Representative)

.....

.....

(Address)

We report having paid the sum of.....

to.....under licence No.....

(Name of supplier)

established by.....

(Name and address of buyer)

Our payment commission/amount to.....

Payment was affected against delivery of the documents as specified in/and in accordance with the terms and conditions of the letter of credit mentioned above evidencing of

.....

(General description of the merchandise including the Quantity)

.....per S.S.....or R.R.....

(etc.)

from.....to.....

(Point of shipment) (Destination)

or storage of manufacture of the goods described at.....

.....

The connected documents have been forwarded to the IDBI

.....

(Copy of supplier's invoice is attached)

Very truely yours,

अनुबन्ध-4

भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर ऋण के आधार पर प्रदान किए गए प्रत्येक लाइसेंस के सम्बन्ध में आदेश और भुगतान की स्थिति को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

1. आयात लाइसेंस संख्या, दिनांक और मूल्य
2. आदेश देने की स्थिति :
   (क) अब तक दिए गए आदेशों का कुल मूल्य (रुपयों में)।
   (ख) जो आदेश दिए जाने बाकी है उनका मूल्य (रुपयों में)।
   (ग) शेष आदेशों की क्रमावस्था—निर्दिष्ट कीजिए कि ये कब पूर्ण हो जाएंगे।
3. भुगतान स्थिति :
   (क) अब तक किए गए भुगतानों का कुल मूल्य (रुपयों में)। कृपया बैंक से मालूम करने के बाद इस बात का पुष्टिकरण कीजिए कि उन्होंने सब मामलों में भुगतानों के दस्तावेज भारत के औद्योगिक विकास बैंक को प्रस्तुत कर दिए हैं)।
   (ख) जो भुगतान करने बाकी है उनका मूल्य (रुपयों में) ;
   (ग) शेष भुगतानों की व्यवस्था
   (कृपया इस बात का पुष्टिकरण कीजिए कि भुगतान समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जायेंगे)।
4. अधियुक्तियां, यदि कोई हो, विशेष रूप से लाइसेंस के पूर्ण उपयोग करने में अनुभव की गई किसी विशेष कठिनाई के सम्बन्ध में।

हस्ताक्षरित

(————————)

आयातक की ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षर।

ANNEXURE IV

Proforma Report showing ordering and payment position in respect of each import licence granted against loan by the IDBI

1. Import Licence No., date and value
2. Ordering position :
   (a) Total value of orders placed so far (in Rs.)
   (b) Balance value of orders yet to be placed (in Rs.)
   (c) Phasing of balance orders—Indicate when these would be completed.
3. Payment position:
   (a) Total value of payments made so far (in Rs.) (Please confirm after checking with the bank that documents therefore have been submitted to the IDBS by them in all cases).
   (b) Balance value of payments yet to be made (in Rs.)
   (c) Phasing of balance payments
   (Please confirm that payments will be completed with in time limit).
4. Remarks if any, particularly regarding any special difficulty experienced in complete utilisation of licence.

Sd/-

(Authorised Representative on behalf of importer.)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978